राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

आईएसओ 9001 और 14001 संगठन

सेक्टर-33, फरीदाबाद

संक्षिप्त रिपोर्ट

आरईसी लिमिटेड के वर्ष 2020-21 के लिए
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रकटन
की पारदर्शी लेखापरीक्षा।

जुलाई, 2021

<u>संक्षिप्त विवरण</u>

<u>आरईसी लिमिटेड की तृतीय पक्षकार आरटीआई लेखापरीक्षा सार रिपोर्ट</u>

धारा 4 के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम में सार्वजनिक प्राधिकरणों के कार्यकरण में खुलेपन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यढांचे का प्रावधान है। प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों द्वारा आरटीआई आवेदन दायर किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना, आरटीआई अधिनियम के तहत निर्धारित किए गए अनुसार अपने कार्यों से संबंधित सूचना को सकारात्मक रूप से प्रकट करना होता है। यद्यपि धारा 4(1)(क) में रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए सामान्य दिशानिर्देश का प्रावधान है, ताकि सूचना को आसानी से संग्रहीत और बनाए रखा जा सके, तथापि खंड 4 के उपखंड ख, ग और घ संगठनात्मक उद्देश्यों और कार्यों से संबंधित हैं। आरटीआई अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा 9ख), (ग) और (घ) तथा अन्य संबंधित सूचना इसके अनुसार एक समूह में रखी जा सकती है, सूचना की व्यापक श्रेणी स्व-विवेक से प्रकट किए जाने के लिए धारा 4(1)(ख) (ग) और (घ) में निर्धारित की गई है। सूचना की ऐसी विशिष्ट श्रेणियां हैं जिनका उल्लेख खंड 4(i)(ख) में किया गया है और उन श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न मदें हैं जिससे ये व्यापक और संपूर्ण बनती हैं। धारा 4(i)(ख) के तहत 17वीं मद में यह उल्लेख किया है कि ऐसी अन्य सूचना जो निर्धारित की जा सकती है, को भी स्व-विवेक से प्रकट किया जाना आवश्यक होता है।

सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में आरईसी लिमिटेड द्वारा किए गए प्रयास पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आरटीआई अधिनियम के अनुसार वेबसाइट पर सूचना साझा करने हेतु मानी गई हैं। यह पाया गया है कि आरईसी लिमिटेड की वेबसाइट उपयोगकर्ता के अनुकूल है और ऐसी सूचना का खुलासा करने का प्रयास किया गया है जो नागरिकों की आवश्यकता को पूरा करती हो। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि कुछ क्षेत्रों से संबंधित सूचना को अधिक स्पष्टता से वेबसाइट पर साझा किया जाना है/उसमें सुधार किया जाना है:

क्रम सं.	मद सं. और विवरण	अभ्युक्ति
1.	वेबसाइट के होम पेज में शीर्ष पर प्रमुख स्थान पर आरटीआई सेक्शन प्रदर्शित किया जाए।	
2.	1.1.2 संगठन के प्रमुख का नाम और फोटो	इसे वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
3.	1.2.5 कार्य आवंटन विवरण पूरी तरह से उपलब्ध	यह पूरी तरह से विभाग और

	नहीं है।	पदनाम के अनुसार प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
4.	1.5.4 स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश	वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किये गये।
5.	1.7.3 परिषद, समिति के गठन की तिथि	गठन की तिथियों का उल्लेख नहीं है।
6.	पीआईओ के दूरभाष/मोबाइल नंबर	दिए गए वेबसाइट लिंक पर उल्लेख नहीं है।
7.	1.11 कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है, का उल्लेख किया जाना चाहिए। कोई सूचना नहीं दी गई है।	प्रत्येक श्रेणी के तहत कर्मचारियों की संख्या वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाए।
8.	1.12.13 सीपीआईओ/एपीआईओ का प्रशिक्षण	ब्यौरा नहीं दिया गया है।
9.	1.13.1 स्थानांतरण नीति वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं की जाती है।	वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं की गई।
10.	2.2.3 खरीद से संबंधित कोई सूचना नहीं दी गई- (क) नोटिस/निविदा पूछताछ, और शुद्धिपत्र यदि कोई हो, (ख) अवार्ड की गई बोलियों के ब्यौरे जिसमें अधिप्राप्त किए जा रहे सामानों/सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के नाम शामिल हैं, (ग) किए गए कार्य अनुबंध - उपर्युक्त के किसी भी ऐसे संयोजन में - और। (घ) दर/दरें और कुल राशि जिस पर ऐसी खरीद अथवा कार्य अनुबंध निष्पादित किया जाना है।	कोई सूचना नहीं दी गई।
11.	2.6.1 सीएजी और पीएसी पैरा तथा इनके बाद की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दिया गया है।	स्व-मूल्यांकन में दिए गए लिंक पर संगत सूचना उपलब्ध नहीं थी; तथापि, सूचना आरटीआई सेक्शन के तहत उपलब्ध है।
12.	3.13 सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) से संबंधित सूचना – स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के ब्यौरे, यदि कोई हो	कोई सूचना नहीं दर्शाई गई।
13.	4.1.1 और 4.1.2 भाषा से संबंधित कोई सूचना उपलब्ध नहीं है जिसमें सूचना मैनुअल/हैंडबुक	कोई सूचना नहीं दर्शाई गई।

	उपलब्ध हो	
14.	4.5.3 पूरी की गई योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची	कोई सूचना नहीं दी गई।
15.	4.5.4 चल रही योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची	कोई सूचना नहीं दी गई।
16.	4.7.1 संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।	कोई सूचना नहीं दी गई।
17.	5.1.5 आरटीआई के तहत अक्सर मांगी गई सूचना की पहचान करने के लिए आरटीआई में विशेषज्ञता वाले पीआईओ/एफएए की समिति - (क) जिस तारीख से गठित की गई है, (ख) अधिकारियों के नाम और पदनाम	कोई सूचना नहीं दी गई।
18.	6.2.1 एसटीक्यूसी प्रमाणपत्र और इसकी वैधता प्राप्त की।	कोई सूचना नहीं दी गई।
19.	6.2.2 आरईसी की वेबसाइट पर एसटीक्यूसी प्रमाणपत्र अपलोड करना	कोई सूचना नहीं दी गई।

****